

कार्यालय नगर परिषद् ब्यावर

क्रमांक : ५५५२/१७-१८/२९७

दिनांक : २१/१२/१७

निमित्त :-

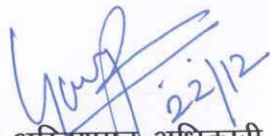
छाजेड बिल्ड वेल प्रा. लि. आशीर्वाद सिटी
मील रोड़ ब्यावर।

विषय :- अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है मुख्यमंत्री आवास योजना २०१५ के अन्तर्गत छाजेड बिल्ड वेल प्रा. लि. आशीर्वाद सिटी मील रोड़ ब्यावर द्वारा विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया, अतः छाजेड बिल्ड वेल प्रा. लि. आशीर्वाद सिटी मील रोड़ ब्यावर की भूमि खसरा नं. १३५२ पर फ्लैट निर्माण संलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने पर अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

१. भवन का निर्माण अजमेर विकास प्राधिकरण/रीको/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/राजस्थान मण्डल द्वारा स्वीकृति मानचित्रानुसार करना होगा।
२. नेशनल बिल्डिंग कोड, भाग - ४ के अनुसार आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
३. आवेदक श्री छाजेड बिल्ड वेल प्रा. लि. आशीर्वाद सिटी मील रोड़ ब्यावर को मंजिल योजनानुसार ऊँचाई की फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शायी गयी मान्य होगी।
४. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहन के प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु चारों तरफ घुमने व कार्य करने के लिये पर्याप्त खाली स्थान (गलियारा) रखना होगा एवं माडेल राजस्थान भवन विनियम २०१३ (संशोधित) के बिन्दु संख्या ९.१२ के (ग) की पालना की जावे।
५. अस्थाई अग्निशमन अभिशंसा के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण/विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

6. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण विभाग से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही इस भवन का उपयोग किया जा सकेगा। उक्त की पालना नही करने पर भूखण्ड का मालिक/आवेदक व अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. भवन में धुओं निकासी के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी।
8. भवन में अग्निशमन हेतु पानी की समूचित व्यवस्था/भण्डारण करना आवश्यक होगा।
9. यह अस्थाई अनापत्ति जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिये मान्य होगी। उक्त अवधि में आवेदक को स्थाई फायर अनापत्ति लेनी होगी। अवधि में कार्य पुरा नही होने पर उक्त की अवधि समय पर बढ़वानी होगी।


सहायक अग्निशमन अधिकारी
सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, ब्यावर